एनपीसीडीसीएस कार्यक्रम को बेहतर संचालन हेतु मार्गदर्शन का विवरण निम्नानुसार हैं:–

1. **हैल्थ वेलनेस सेन्टर तथा यूनिवर्सल एनसीडी कार्यक्रम के अन्तर्गत जनसंख्या आधारित एनसीडी स्क्रीनिंग के सम्बन्ध में दिशा निर्देश–**

- सर्वप्रथम ब्लॉकवाईज वित्तीय वर्ष 2018–19 तथा 2019–20 की पृथक–पृथक हैल्थ वेलनेस सेन्टर की सूची तैयार करें।
- उक्त हैल्थ वेलनेस सेन्टर पर आशा सहयोगिनी, एएनएम, एलएचवी, स्टाफ नर्स एवं मेडिकल ऑफिसर के कितने पद स्वीकृत है, कि तुलना में कितने पद पर कार्यरत हैं कि नाम सहित सूची तैयार करें। यदि किसी स्टाफ का स्थानान्तरण/पदस्थापन होता है तो समय–समय पर उक्त सूची को अपडेट करें।
- यदि किसी पीएचसी को हैल्थ वेलनेस सेन्टर में परिवर्तित किया गया है तो उस पीएचसी का मुख्यालय पर स्थित उपकेन्द्र (NOTIONAL) का क्षेत्र को आधार मानते हुये उस क्षेत्र में कार्यरत आशा, एएनएम, एलएचवी, डीईओ, स्टाफ नर्स एवं एमओ का प्रशिक्षण करवाया जाना है।
- उपकेन्द्र जिसको हैल्थ वेलनेस सेन्टर में परिवर्तित किया गया है उसके क्षेत्र में कार्यरत आशा एवं एएनएम तथा उक्त उपकेन्द्र जिस पीएचसी के अधीन है पर कार्यरत एलएचवी, स्टाफ नर्स, डीईओ एवं एमओ का प्रशिक्षण करवाया जाना है।
- शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को यदि हैल्थ वेलनेस सेन्टर में परिवर्तित किया गया है तो उक्त केन्द्र के सम्पूर्ण क्षेत्र में कार्यरत स्टाफ प्रशिक्षण करवाया जाना है।
- उक्त प्रशिक्षणों में जिलें में कार्यरत समस्त ब्लॉक तथा पीएचसी हैल्थ सुपरवाईजर, कम्यूनिटी हैल्थ ऑफिसर का प्रशिक्षण भी पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
- चूंकि राज्य द्वारा प्रत्येक ब्लॉक के दो आशा ToT को एनसीडी आशा मोड्यूल (मोड्यूल–8) पर दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा चुका है साथ ही प्रत्येक जिले के ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सीएचसी एनसीडी क्लिनिक इन्चार्ज को एएनएम, स्टाफ नर्स एवं एमओ के प्रशिक्षण हेतु दो दिवसीय जनसंख्या आधारित स्क्रीनिंग की ToT प्रदान की जा चुकी है। अतः समस्त जिले शिघ्रताशीघ्र प्रशिक्षण का माईक्रोप्लान बनाकर राज्य स्तर पर भिजवाते हुये जिला एवं ब्लॉक स्तर पर दो माह में प्रशिक्षण करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा उसी योजना के अनुसार प्रशिक्षण हो रहा है या नहीं, कि समय–समय पर मूल्यांकन किया जावें।
- आशा सहेयोगिनी एवं एएनएम का पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों यथा प्रि–पोस्ट टेस्ट, एजेण्डा, गाईडलाईन्स के अनुसार ही प्रशिक्षण दिया जावें (गाईडलाईन संलग्न तथा दिनांक 03.10.2019 को राज्य स्तर द्वारा प्रेषित ई–मेल का अवलोकन करें)।
- महिला स्टाफ नर्स एवं चिकित्सकों का VIA प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक जिले से पांच महिला ToT का प्रशिक्षण शीघ्र ही AIIMS जोधपुर में करवाया जावेगा।
- आशा सहयोगिनी के पूर्व से निर्धारित परिवारों की संख्या की सूची तैयार की जावें।

- जिन आशा सहयोगिनी का प्रशिक्षण हो चुका है उनके द्वारा पूर्व से निर्धारित परिवारों की संख्या की सूची तैयार की जावें तत्पश्चात् उनको अपने क्षेत्र में सर्वे किया जावें, सर्वे में 30 से 65 आयुवर्ग के व्यक्तियो की सूची तैयार की जावें।
- 30 से 65 आयुवर्ग के प्रत्येक व्यक्ति का CBAC फॉर्म भरा जावें तथा उक्त फॉर्म की एमओ पोर्टल पर इन्द्राज किया जावें।
- आशा द्वारा अपने क्षैत्र में किये गये फैमिली सर्वे का डाटा संधारण आशा डायरी में भी आवश्यक रूप से किया जाए जिसका प्रावधान पूर्व में आशा डायरी में किया जा चुका है।
- आशा द्वारा किये गये कार्य की प्रोत्साहन राशि का भुगतान आशा सॉफ्ट द्वारा किया जाना सुनिश्चित करें।
- उक्त क्षेत्र में एनसीडी सर्वे के साथ–साथ एएनएम द्वारा आउटरीच कैम्प आयोजित कर डायबिटिज, हाईपरटेन्शन, मूंह का कैंसर एवं स्तन के कैंसर की स्क्रीनिंग की जावें।
- सर्वाईकल कैंसर की स्क्रीनिंग प्रशिक्षित महिला स्टाफ नर्स/चिकित्सक द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा उच्च चिकित्सालय पर की जावेगी।
- स्क्रीनिंग में जिन मरीजों के सम्भावित बीमारी आती है उनकी Examination at PHC पर इन्द्राज किया जावें।
- जो भी सम्भावित मरीज हो उनका अन्तिम निदान हेतु चिकित्सा अधिकारी के यहां पर रैफर करें। यदि चिकित्सक के द्वारा उक्त व्यक्ति के कोई बीमारी पाई जाती है तो उसकी एमओ पोर्टल पर इन्द्राज करावें।
- जिस व्यक्ति के डायबिटिज एवं उच्च रक्तचाप पाया जाता हैं उनकों एक माह की दवाई चिकित्सक द्वारा लिखी जावें तथा चिकित्सक के द्वारा मरीज को यह सलाह दी जावें कि मरीज दवाई के साथ–साथ हैल्थ परमोशन का ध्यान रखें तथा एक माह के अन्त में नजदीक के हैल्थ वेलनेस सेन्टर पर जांच करावें यदि मरीज को कोई परेशानी तथा जांच रिपोर्ट सामान्य पाई जाती है तो सीएचओ द्वारा एक माह की दवाई दी जावें साथ हैल्थ परमोशन के बारे में लगातार बताया जावें।
- आशा सहयोगिनी के द्वारा CBAC फॉर्म भरने के समय, एएनएम/सीएचओ द्वारा स्क्रीनिंग/फॉलोअप करने के समय तथा चिकित्सक के द्वारा अन्तिम निदान एवं उपचार के समय व्यक्ति को हैल्थ परमोशन के संबंध में पूर्ण जानकारी दी जावें।
- किसी भी मरीज के यदि कोई गैर संचारी बीमारी पाई जाती है तो उनका उपचार स्वास्थ्य कार्ड में लिखा जावें तथा मरीज जब भी फॉलोअप के लिये आता है तो स्वास्थ्य कार्ड के बारे में जानकारी ली जावे।
- समस्त जिलों को निर्देशित किया गया कि वें अपने जिलें की समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की NCD software हेतु User ID & Password शीघ्र बनावें तथा कार्यरत डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को प्रशिक्षित किया जाना भी सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक जिले द्वारा डिस्ट्रिक्ट एम.ओ. पोर्टल का प्रत्यके तीन दिवस में अवलोकन कर जिस किसी हैल्थ बैलनेस सेन्टर द्वारा एम.ओ पोर्टल पर अपेक्षित रूप से डाटा इन्द्राज नही किया

जा रहा है उसे सूचित करते हुए कार्य की प्रगति को अपेक्षानुसार अनुसार कार्य की प्रगति को किया जाना सुनिश्चित करें।

- प्रत्येक जिले द्वारा मासिक बैठक आयोजित कर तथा फील्ड विजिट कर उक्त कार्य की मोनिटीरिंग किया जाना सुनिश्चित हो।

2. ऑपरच्यूनिटी (O.P.D) एनसीडी स्क्रीनिंग के सम्बन्ध में दिशा निर्देश–

- राज्य की समस्त जिला/उप जिला/सैटेलाइट चिकित्सालय एवं समस्त 606 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को एनसीडी क्लिीनिक में परिवर्तित किया जा चुका है। अतः उक्त समस्त चिकित्सालयों में आने वाले प्रत्येक 30+ व्यक्ति का पूर्व में जारी फ्लोचार्ट के अनुरूप स्क्रीनिग की जानी है।
- उक्त स्क्रीनिंग राज्य के समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी की जानी है।
- उक्त समस्त चिकित्सालयों पर एनसीडी रजिस्टर का संधारण आवश्यक रूप से हो तथा एनसीडी से सम्बन्धित आईईसी मैटिरियल को दर्शाया जाना सुनिश्चित करें।
- डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग की रिपोर्ट जिला स्तर पर संकलित करते समय यह आवश्यक रूप से मूल्यांकन किया जावें कि जिले के किन चिकित्सालयों द्वारा एनसीडी पोजिटिव केसों की लाईन लिस्ट नही भेजी जा रही है अर्थात ऑपच्यूरिटी स्क्रीनिंग नही की जा रही है। ऐसे चिकित्सालयों को सूचित करते हुए ऑपच्यूरिटी स्क्रीनिंग करवाया जाना सुनिश्चित करें।

3. आउटरिच कैम्प के सम्बन्ध में दिशा निर्देश–

राज्य के चयनित 159 सीएचसी एनसीडी क्लिनिक पर कार्यरत चिकित्सक को राशि रू. 10,000/– प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है जिसके संबंध में संदर्भित पत्र के माध्यम से संशोधित गाईडलाईन आपको भिजवाई जा चुकी है। गाईडलाईन के अनुसार आपको माह के प्रत्येक बुधवार को (वर्ष में कुल 52) आउट रीच कैम्पों का आयोजन किया जाना हैं।

चूंकि आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलें की समस्त पीएचसी एवं चयनित सबसेन्टरों को हैल्थ वेलनेस सेन्टर में परिवर्तित कर दिया गया हैं अथवा किया जाना हैं जिसके तहत् इन हैल्थ वेलनेस सेन्टरों पर जनसंख्या आधारित एनसीडी स्क्रीनिंग की जानी है।

अतः उपरोक्त कैम्पों का आयोजन हैल्थ वेलनेस सेन्टर के क्षेत्र में ही करवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि उक्त क्षेत्र के 30 व अधिक आयुवर्ग के समस्त व्यक्तियों की असंक्रामक बीमारियों की स्क्रीनिंग की जा सकें तथा स्क्रीनिंग का कवरेज बढ़ाया जा सकें। उक्त कैम्पों में की गई स्क्रीनिंग की रिपोर्ट एनपीसीडीसीएस कार्यक्रम के 5बी प्रपत्र में इन्द्राज किया जाना भी सुनिश्चित करें।

4. जिलों द्वारा की जा रही रिपोर्टिंग के सम्बन्ध में दिशा निर्देश–

- जिलों द्वारा राज्य स्तर पर प्रेक्षित की जाने वाली रिर्पोटे यथा हैल्थ वैलनेस सेन्टर, यूनिवर्सल एनसीडी स्क्रीनिंग, 5ए–5बी, डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग, सीसीयू, अर्ली कैंसर डिडैक्शन कैम्प, डिस्ट्रिक्ट कैंसर केयर कार्यक्रम, हिमोडायलेसिस इत्यादि रिपोर्टिंग निर्धारित समयावधि तक प्रेक्षित की जावें।

- जिला स्तर पर यह सुनिश्चित किया जावें की एनपीसीडीसीएस कार्यक्रम से संबंधित समस्त रिपोर्ट ब्लॉक, बीसीएमओ के माध्यम से ही जिला स्तर पर प्रेषित हो।
- उक्त रिपोर्टस् सॉफ्ट कॉपी के साथ–साथ सम्बन्धित अधिकारी के मय हस्ताक्षरित यूक्त भी राज्य स्तर पर अक्षरक्ष रूप से भेजी जाना सुनिश्चित करें।
- हैल्थ वेलनेस सेन्टर एवं यूनिवर्सल एनसीडी स्क्रीनिंग के प्रपत्र में यह ध्यान रहे कि प्रपत्र के सभी कॉलम में सूचना अंकित की जावें, कॉलम के रिक्त होने की स्थिति में रिपोर्ट स्वीकार नहीं की जावेगी।
- जनसंख्या आधारित एनसीडी स्क्रीनिंग का डाटा जो कि हैल्थ वेलनेस सेन्टर एव यूनिवर्सल एनसीडी स्क्रीनिंग के प्रपत्र में इन्द्राज किया गया है को आवश्यक रूप से जिलें के 5बी रिपोर्टिंग प्रपत्र में भी अंकित किया जाना सुनिश्चित करें।
- हैल्थ वेलनेस सेन्टर एवं यूनिवर्सल एनसीडी स्क्रीनिंग के प्रपत्र में प्रस्तुत रिपोर्ट प्रत्येक माह परिवर्तित होकर आती है अर्थात पिछले माह की तुलना में रिपोर्ट का डाटा कम इन्द्राज होकर आता है जो कि सम्भव नही है।
- फेमिली सर्वे, CBAC तथा स्क्रीनिंग का लक्ष्य प्रत्येक माह भिन्न–भिन्न अंकित होकर हैल्थ वेलनेस सेन्टर की रिपोर्ट में प्रेषित की जाती है जो कि पूर्णतः गलत है। उक्त लक्ष्य वार्षिक लक्ष्य होता है जिसके सामने आप द्वारा रिपोर्टिंग में उपलब्धि का डाटा इन्द्राज किया जाना हैं।
- हैल्थ वेलनेस सेन्टर की रिपोर्ट में फेमिली सर्वे के लक्ष्य के समक्ष उपलब्धि का प्रतिशत तथा CBAC फॉर्म भरे जाने के लक्ष्य के समक्ष उपलब्धि का प्रतिशत भिन्न भिन्न नहीं होना चाहिए।
- हैल्थ वेलनेस सेन्टर एवं यूनिवर्सल एनसीडी स्क्रीनिंग रिपोर्ट जो कि प्रत्येक माह राज्य स्तर पर प्रेषित होती है, में हमेशा उस वित्तीय वर्ष की Cumulitive रिपोर्ट ही प्रेषित की जावें अर्थात यदि अक्टूबर माह की रिपोर्ट प्रेषित की जा रही तो उस रिपोर्ट में अप्रेल से सितम्बर की Cumulitive रिपोर्ट का डाटा अंकित किया जाना है।
- हैल्थ वेलनेस सेन्टर एवं यूनिवर्सल एनसीडी स्क्रीनिंग रिपोर्ट में डाटा पुरूष एवं महिला का अलग–अलग इन्द्राज कर ही स्टेट लेवल पर प्रेषित की जावें।
- अधितकर जिलों द्वारा प्रशिक्षण का लक्ष्य गलत रूप से निर्धारण किये गये है जिसके संबंध में निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 1 में दिये गये निर्देशों के अनुसार ही प्रशिक्षण का लक्ष्य निर्धारण किया जावें।
- हैल्थ वेलनेस सेन्टर एवं यूनिवर्सल एनसीडी स्क्रीनिंग रिपोर्ट में यह भी ध्यान रखा जावें कि एनसीडी बीमारी के पॉजिटिव केस की संख्या प्रिविलेन्स रेट के अनुसार ही हो अथवा उसके आसपास ही हो साथ ही यह भी ध्यान रखा जावे की मरीज जिनका ईलाल किया जा रहा है वे कुल पॉजिटिव केस के बराबर अथवा कम होंगे, स्क्रीनिंग में पाये गये पॉजिटिव केस सम्भावित केस की तुलना में कम ही होगें एवं सम्भावित केस कुल की गई स्क्रीनिंग से कम होंगे।

- जिन जिलों में आज दिनांक तक सर्वाईकल कैंसर का प्रशिक्षण नहीं किया गया है उन जिलों द्वारा सर्वाईकल कैंसर के पॉजिटिव तथा सम्भावित केसों की रिपोर्टिंग नहीं की जानी चाहिए।
- यदि किसी जिले द्वारा ऑरल तथा ब्रेस्ट कैंसर की रिपोर्ट शुन्य अंकित की जाती है तो इसका अर्थ यह है कि उस जिलें में एएनएम द्वारा कॉमन कैंसर की स्क्रीनिंग नहीं की जा रही है।
- यूनिवर्सल एनसीडी कार्यक्रम संचालित जिलों द्वारा प्रत्येक माह VIA स्क्रीनिंग की रिपोर्ट आवश्यक रूप से प्रेषित की जावें।
- जैसा कि विदित है कि आशा द्वारा फेमिली सर्वे तथा CBAC फॉर्म भरे जाने की क्रियान्विति एक बार की जानी है परन्तु एएनएम द्वारा स्क्रीनिंग की क्रियान्विति प्रत्येक वर्ष की जानी है। अतः यूनिवर्सल एनसीडी कार्यक्रम की रिपोर्ट में फेमिली सर्वे तथा CBAC फॉर्म की उपलब्धि प्रत्येक वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट में एक समान रहेगी तथा स्क्रीनिंग की रिपोर्ट अर्थात उपलब्धि प्रत्येक माह की रिपोर्ट में भिन्न भिन्न रहेगी।
- हैल्थ वेलनेस सेन्टर में स्थानीय स्तर पर क्रय किये जाने वाले उपकरण एवं कन्ज्यूमेबल के संबंध में जैम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के संबंध में अधिकतर जिलो से रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है।

उक्त के संबंध में सभी जिलों को निर्देशित किया गया कि वें उक्त समस्त कमियों को ध्यान में रखते हुये राज्य स्तर समस्त रिपोर्ट समय पर भिजवाने की सुनिश्चितता करें।